ऑन लाईन नं. **RCMS 2023/108**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 04/2023

राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह निवासी वार्ड नम्बर 21, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, गली नम्बर 08, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर, मय 14.40 किलोग्राम एलपीजी गैस, को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी श्री नरेश कुमार अनुपस्थित।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक : 12.07.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांच अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह की उपस्थिति में फर्म रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रतिष्ठान में मिठाई बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैंस पाईप लाईन के जरिये जुडें पाये गये। सभी गैंस सिलेण्डर भारत गैंस कम्पनी के पाये गये। श्री हरि ने घरेलू गैंस सिलेण्डर द्वारा मिठाई आदि बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरि सिंह द्वारा उक्त 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरि सिंह के पास नहीं मिला। फर्म रामदूत मिष्ठान भंण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्दि सिद्दि गैंस एजेन्सी पदमपुर के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका व जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा से तैयार किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लधंन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय एलपीजी 14.40 किलोग्राम गैंस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। अप्रार्थी के नोटिस की तामील पर पुलिस थाना पदमपुर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी हरि सिंह को देकर स्व्यं से तामील करवाई गई व तारीख पेशी पर हाजिर आने के लिए पाबन्द किया।। मूल नोटिस बाद तामील सेवा में पेश है। अप्रार्थी स्वयं द्वारा तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं है।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 19.04.2023 को फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरिसिंह पुत्र शैतान सिंह की उपस्थिति में फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रतिष्ठान में मिठाई आदि बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैंस सलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैंस पाईप लाईन के जरिये जुडें पाये गये। सभी गैंस सिलेण्डर भारत गैंस कम्पनी के पाये गये। श्री हरि सिंह ने घरेलू गैंस सिलेण्डर द्वारा मिठाई आदि बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरि सिंह द्वारा उक्त 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरि सिंह के पास नहीं मिला। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह भेली रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, के द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लधंन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय एलपीजी 14.40 किलोग्राम गैंस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किये जाने की जांच अभियान दौरान प्रवर्तन स्टाफ जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2023 को फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। जांच के दौरान फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह मौके पर उपस्थित मिले तथा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक बताया। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह की उपस्थिति में फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की जांच की गई। जांच में पाया कि प्रतिष्ठान में मिठाई आदि बनाने का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए प्रतिष्ठान में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर चूल्हा/ भट्टी/बर्नर से गैंस पाईप लाईन के जरिये जुडें पाये गये। सभी सिलेण्डर भारत गैंस के पाये गये। श्री हरि सिंह ने घरेलू गैंस सिलेण्डर द्वारा मिठाई आदि बनाने, व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री हरि सिंह द्वारा उक्त 02 घरेलू गैंस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री हरि सिंह के पास नहीं मिला। फर्म रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पाये गये 02 घरेलू गैंस सिलेण्डरों को जरिये फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं रिद्धि सिद्धि गैंस एजेन्सी पदमपुर के के संचालक मनीष कुमार बिश्नाई पुत्र श्री सतपाल बिश्नाई उम्र 32 वर्ष , निवासी 26 बी बी तहसील पदमपुर को सुपुर्द किया।

इस प्रकार श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक कार्य किया जा रहा था। श्री हरि सिंह पुत्र शैतान सिंह रामदूत मिष्ठान भण्डार, धानमण्डी रोड़ तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, के द्वारा घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर व्यवसायिक का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग) का स्पष्ट उल्लधंन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय एलपीजी 14.40 किलोग्राम गैंस को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)